E-mail: info@barcouncilofindia.org Website: www.barcouncilofindia.org



Tel.: (91) 011-4922 5000 Fax: (91) 011-4922 5011

भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D:2386/2018 (LE/Afflin)

Dated 21.12.2018

To,

The Registrar, Allahabad State University, Allahabad, Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to Shambhunath Institute of Law, Allahabad, Uttar Pradesh for five year BA LL.B law course for the academic year 2018-2019.

Sir,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of approval of affiliation Shambhunath Institute of Law, Allahabad, Uttar Pradesh which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2018-19 and inspection of the Bar Council of India is pending.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Bar Council of India at its meeting held on 25th & 26th May 2018. The resolution passed was as follows:

"RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2018-2019. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently."

Contd.../-

Since your university has given affiliation for the year 2018-2019, you are requested to allow **Shambhunath Institute of Law, Allahabad, Uttar Pradesh** to adm it students in **five year BA LL.B law course** with existing sections for the academic year 2018-2019.

This is for your information and necessary action.

Note - Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the college and revert back to the Bar Council of India through e – mail as soon as possible.

Note – (1) That w.e.f 21.05.2016 the inspection fee for LL.B three year and five year regular course is Rs. 3 lacs for each course and for the Honours course it is Rs. 5 lacs, while the application fee is Rs. 50,000/- and the guarantee amount is Rs. 5 lacs.

Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/ reply and affiliation orders separately to complianceaffiliationle@gmail.com, apart from copying it to dlebci@gmail.com please do not send any email/s to proledepartment@gmail.com

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebci@gmail.com

Speriliter

Yours sincerely

[N. Senthil Kumar] Asst. Secretary (H.O.D)

> [Srimanto Sen] Secretary

Copy to:

- 1. The Principal, Shambhunath Institute of Law, Jhalwa, Allahabad - 211012 Uttar Pradesh
- 2. The Secretary
 Bar Council of Uttar Pradesh
 19 Maharishi Dayanand Marg
 Allahabad, Uttar Pradesh

Typed by : MJ
Fee and G.A Checked by



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद Allahabad State University, Allahabad

ः इ०रा०वि०वि० / सम्बद्धता / 3 ५ 7/2018

दिनांकः 30/05/2018

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश दि० 30.05.2018 के अनुपालन में शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. झलवा, इलाहाबाद, उ०प्र० को एल०एल०बी० पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालनार्थ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखिल शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान की जाती है:-

1. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—15(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

2. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इंस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई

सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।

3. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शरसन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विरविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो

 महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आघार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र बेतन्य भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।

6. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/

2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

 संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।

8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या – 421 / सत्तर – 1 – 2015 – 16 (20) / 2011, दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार

प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। 9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

> डॉ0 (साहब लाल मौर्य) कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रबन्धक, शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, झलवा, इलाहाबाद, उ०प्र०। 3.
- परीक्षा नियंत्रक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

निजी सचिव कुलपित को कुलपित जी के सूचनार्थ।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।